an>

title: Need to add a new amendment to the Namami Gange Project this year.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "नमामि गंगे" का शुभारम्भ हाल ही में देशभर में सैकड़ों स्थानों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित कर किया गया है। केन्द्र सरकार ने इसके लिए फिलहाल 20,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है, जिसमें से अभी शुरूआती दौर में 2,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस बात को बताना चाहता हूं कि बहुत सारी राज्य सरकारें इसमें बहुत कम रुचि ले रही हैं, जिससे कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देने में बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सरकारें कुछ अपनी शर्तों पर रोड़े अटका रही हैं, जिससे अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। इसके साथ ही साथ अनेक नगर निकायों के हस्तक्षेप से भी कार्य सुचारू रूप से प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है, जिससे केन्द्र सरकार एवं हम सभी सांसदों का विरोधियों द्वारा बदनाम करने हेतु भ्रम फैलाया जा रहा है। इन राज्य सरकारों की नीयत ठीक प्रतीत नहीं हो रही है। केन्द्र सरकार की उदारता के बावजूद जगह-जगह, विशेÂषकर बिहार सरकार एवं वहां के जिला प्रशासन की उदासीनता एवं असहयोगात्मक रवैया "नमामि गंगे" के शुभारम्भ में स्पÂटतौर से परिलक्षित हुआ, जिससे भविÂष्य में काफी कठिनाई पैदा हो सकती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि "नमामि गंगे" के तहत प्रथम चरण में बक्सर के सिद्धनाथ घाट, लक्ष्मीनारायण समाधि घाट, चौसाघाट आदि का प्राक्कलन तैयार कर इन सबको जोड़ते हुए निर्माण कराया जाए। साथ ही बक्सर, हाजीपुर, सोनपुर, पटना, मोकामा, मुंगेर, सुलतानगंज, भागलपुर, कहलगांव, झारखंड के राजमहल और साहिबगंज आदि गंगा के किनारे विद्युत शवदाह गृह भी स्थापित किए जाएं।

अध्यक्ष महोदया, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार "नमामि गंगे" परियोजना की सफलता हेतु अलग से केन्द्रीय नीति निर्धारण कर इसे चालू सत्र में ही एक नया अधिनियम बनाकर लाने का प्रयास करे, तभी समय पर कार्य अच्छी तरह सम्पन्न हो पाएगा तथा प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्र सरकार का सपना साकार हो पाएगा।

अध्यक्ष महोदया, इसके अतिरिक्त जल-विÂषयक सूची को राज्यों से हटाकर केन्द्रीय सूची में डालने हेतु लोक सभा की प्राक्कलन समिति एवं अन्य संबंधित समितियों के प्रतिवेदनों पर शीघ्र गंभीरता पूर्वक चर्चा कर, उसे अमलीजामा पहनाने की आवश्यकता है। इस पर केन्द्र सरकार की स्पÂष्ट नीति घोÂिषत होनी चाहिए, तभी गंगा एवं अन्य नदियों की अविरलता एवं निर्मलता बरकरार रह पाएगी।

अध्यक्ष महोदया, इसके अतिरिक्त जल-प्रदूÂषण रोक एवं प्रतिबंध अधिनियम, 1974 में आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए कड़ाई से राज्य सरकारों एवं अन्य स्तरों पर भी अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कारगर कदम उठाए जाएं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : जीरो आवर में लम्बे-चौड़े पेजेज नहीं पढ़ने हैं। मैं कितनी बार इस बात को बताऊं।

. â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं, श्री भैरोंप्रसाद मिश्र, श्री बी. श्रीरामुलु, डॉ. मनोज राजोरिया एवं कुंवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल को माननीय सदस्य श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए विÂषय से सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान करती हूं।